हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

संख्याः–पीसीएच–एचए (1) 4/2025– 24034-58 . शिमला–9 दिनांक 17 अप्रैल, 2026

अधिसूचना

क्योंकि भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 एवं हिमाचल प्रदेश पचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का संख्याक 4) के प्रावधानों के अनुरूप पचायतों के सामान्य निर्वाचन से पूर्व, जिला परिषद अध्यक्षों के पदों के लिए आरक्षण किया जाता अनिवार्य है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 89 के उप नियम (1) तथा (9) के प्रयोजन हेतु, हिमाचल प्रदेश की जिला परिषदों के अध्यक्ष पदों का निर्धारण एवं इन पदों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सहित) के लिए संलग्न "अनुसूची" में दिए गए विवरणानुसार, आरक्षित करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते है;

आदेश द्वारा
सचिव (पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याः–पीसीएच–एचए (1) 4/2025– 24034-58 शिमला–9 दिनांक 17 अप्रैल, 2026
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश शिमला–2
3 समस्त जिला पचायत अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
4. ई–राजपत्र।

विशेष सचिव (पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

"अनुसूची"

(क) प्रदेश में जिला परिषद के अध्यक्षों के कुल स्थानों तथा विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का निर्धारणः–

प्रदेश में जिला परिषद के अध्यक्षों के कुल स्थानों की संख्या	प्रदेश में जिला परिषद के अध्यक्षों हेतु विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या							जिला परिषद हेतु अनारक्षित स्थानों की संख्या
	अ0 जा0	अ0 जा0 (महिला)	अ0 ज0 जा0	अ0ज0जा0 (महिला)	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग (महिला)	महिला	
12	1	2	1	1	–	1	2	4

(ख) प्रदेश में जिला परिषद के अध्यक्षों के स्थानों के आरक्षण का विवरणः–

प्रदेश की समस्त जिला परिषदों के नाम	प्रदेश में जिला परिषद के अध्यक्षों हेतु विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या						जिला परिषद हेतु अनारक्षित स्थानों की संख्या
	अ0जा0	अ0 जा0 (महिला)	अ0ज0जा0	अ0ज0जा0 (महिला)	पिछड़ा वर्ग (महिला)	महिला	
1. बिलासपुर 2. चम्बा 3. हमीरपुर 4. कांगड़ा 5. किन्नौर 6. कुल्लू 7. लाहौल–स्पिति 8. मण्डी 9. शिमला 10. सिरमौर 11. सोलन 12. ऊना	1. मण्डी	1. सिरमौर 2. सोलन	1. किन्नौर	1. लाहौल–स्पिति	1. कांगड़ा	1. चम्बा 2. हमीरपुर	1. बिलासपुर 2. कुल्लू 3. शिमला 4. ऊना

नोटः– अनुसूची में संक्षेपाक्षर निम्नलिखित के लिए प्रयुक्त किए गए हैः–

1. अ0जा0 : अनुसूचित जाति   2. अ0ज0जा0 : अनुसूचित जनजाति